प्रकरण संख्या 18/17 2017/00038 ता0 रजू 25.07.2017

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाडिया आई.ए.एस.

भरतलाल पुत्र जोरया आयु 60 जाति मीना निवासी बूकना थाना सपोटरा जिला करौली

– अपीलाण्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी करौली, जिला करौली – रेस्पोण्डेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय जिला रसद अधिकारी दिनांक 14.12.2016 मुकदमा नं. 226/16 उनवानी मुकदमा सरकार बनाम भरतलाल

उपस्थित – श्री नवल किशोर शर्मा, एडवोकेट अपीलार्थी
श्री हरविन्द्र शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक } प्रत्यर्थी
श्री अमित कुमार शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक }

निर्णय

दिनांक 26.08.2019

यह अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 22 के तहत जिला रसद करौली के निर्णय दिनांक 14.12.2016 के विरुद्ध पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रवर्तन निरीक्षक सपोटरा द्वारा पेश रिपोर्ट जिसमें एक ही आधार कार्ड संख्या 2570 4923 1946 जो कि वीरेन्द्र कुमार जोगी निवासी बूकना का है, से उक्त आधार कार्ड धारक से मिलकर 21 फर्जी ट्रांजैक्शन द्वारा 1.55 क्विं. गेंहूं व 40 लीटर केरोसीन एवं 6.5 किलो चीनी का अवैध टांजैक्शन किया गया है जिसे प्रमाणित माना जाकर अपीलार्थी राशन डीलर का अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील, अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.12.2016 आरवीट्रेरी परवर्स रेस्पोण्डेण्ट व विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी अपीलाण्ट को दिनांक 14.12.2016 को अपने न्यायालय में उपस्थित होने के लिए नोटिस नहीं दिया। प्रार्थी द्वारा जवाबदेही हेतु एक अवसर प्रार्थना पत्र पेश कर चाहा परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी की इस्तदुआ पर किसी प्रकार का कोई गौर नही किया और बगैर जवाबदेही व साक्ष्य सबूत का मौका दिये जल्दबाजी में विधि विरूद्ध तरीके से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना कर पारित किया गया है जो काबिल मंसूखी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रवर्तन अधिकारी की अपनी जांच रिपोर्ट मे यह तक नहीं बताया गया है कि किन–किन भिन्न–भिन्न राशन कार्डो पर वीरेन्द्र कुमार जोगी के आधार कार्ड से राशन सामग्री को लिया गया है बिना किसी ठोस आधार के विधि विरूद्ध तरीके से निर्णय पारित कर कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल प्रवर्तन अधिकारी सपोटरा की जांच रिपोर्ट को आधार मानकर बगैर साक्ष्य सबूत लिये निर्णय पारित कर भारी कानूनी भूल की है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को मिसरीड कर बिना किसी सफाई साक्ष्य का मौका दिये निर्णय पारित कर प्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा बगैर किसी शर्त के उल्लंघन किये प्राधिकार पत्र सं 92/02 को अपने निर्णय दिनांक 14.12.2016 द्वारा निरस्त कर भारी कानूनी भूल की है। प्रार्थी अपीलाण्ट एक वृद्ध व्यक्ति है और सन् 2002 से लगातार 14 साल तक राशन सामग्री नियमानुसर वितरित करता रहा है। इतने लम्बे अर्से से किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की गई है ना ही कभी किसी प्रकार की कोई शिकायत हुई है। प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार का पालन पोषण करने का एक मात्र साधन है। उक्त किसी भी तथ्य पर गौर ना कर विधि

जिला कलक्टर
करौली

विरूद्ध तरीके से निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। प्रश्नगत निर्णय जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 14.12.2016 को पारित किया गया था। अपीलाण्ट के विरूद्ध इसी प्रकरण से संबंधित एक एफ आई आर सं 267/16 थाना सपोटरा पर पेश की गई जिस रिपोर्ट में पुलिस अपीलाण्ट को गिरफतार करने के लिये प्रयासरत थी। इस कारण प्रार्थी अपीलाण्ट अपनी जमानत कार्यवाही में लगा हुआ था और इसी बीच प्रार्थी का स्वास्थ्य खराब हो गया और अपील पेश नही कर सका। अपील पेश करने की अवधि आदेश प्राप्ति से 30 दिवस के अन्दर की थी जो दिनांक 13.01.2017 को समाप्त हुई है इस कारण 13.01.2017 से आज दिवस तक अपील ना करने हुई देरी के बिलम्ब को क्षमा कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाना न्यायोचित है। बिलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम के अधीन प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत है। अंत में अपील अपीलाण्ट को स्वीकार करने का कथन किया है।

प्रत्यर्थी प्रतिनिधि का बहस में कथन है कि प्रवर्तन निरीक्षक, सपोटरा पेश रिपोर्ट जिसमें आनलाइन सूचना के अनुसार एक ही आधार संख्या 2570 4923 1946 से, जो वीरेन्द्र कुमार जोगी का है, आधार कार्ड धारक से मिलकर अपीलार्थी डीलर द्वारा 21 अवैध ट्रांजैक्शन कर 1.55 क्विं. गेंहूं व 40 लीटर केरोसीन एवं 6.5 किलो चीनी का दुरुपयोग किया गया है, प्राप्त होने पर अपीलार्थी राशन डीलर का प्राधिकार पत्र निलंबित कर अपीलार्थी को सुनवाई हेतु अवसर दिया जाकर नोटिस जारी किया जिसकी विधिवत् अपीलार्थी के पुत्र पर तामील होने पर भी अपीलार्थी ने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया ना ही कोई साक्ष्य सबूत पेश किये गये जो अपीलार्थी की स्वीकारोक्ति को दर्शाता है जिस पर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। विधिवत् सुनवाई करके ही अपीलार्थी के विरुद्ध निर्णय पारित किया गया है। अंत में अपील अपीलाण्ट को खारिज किये जाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। ऑनलाइन सूचना के आधार पर अपीलार्थी डीलर द्वारा आधार संख्या 2570 4923 1946 से 21 फर्जी ट्रांजैक्शन करके 1.55 क्विं. गेंहूं व 40 लीटर केरोसीन एवं 6.5 किलो चीनी का दुरुपयोग किया गया है। अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाने के उपरांत भी अपीलार्थी द्वारा कोई साक्ष्य–सबूत पेश नहीं किये गये ना ही कोई जवाब पेश किया। फर्जी ट्रांजैक्शन आनलाइन सूचना से भी प्रमाणित हैं। अतः अपील अपीलाण्ट को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील, अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.12.2016 यथावत् रखा जाता है। जिला रसद अधिकारी, करौली को आदेश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी राशन डीलर से 1.55 क्विं. गेंहूं व 40 लीटर केरोसीन एवं 6.5 किलो चीनी की नियमानुसार वसूली की जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
करौली